तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज महेन्द्र कुमार मेहता बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर द्वितीय,शहर जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 115/2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.09.20	अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मेहता, पता ए रोड़ सरदारपुरा, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.03..20 में उसके द्वारा (1) शास्त्रीनगर सेक्टर बी–100 से बी–110 तक में कितने महिला हॉस्टल है, सभी के पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या बतावे तथा सभी के पंजीयन आवेदन पत्र पुलिस जांच, नवीनीकरण संबंधित नोटिस व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर शहर द्वितीय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 293 दिनांक 19.03.200 सूचना प्रेषित की गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(अपर कलक्टर जोधपुर) से जरिये पत्रांक 698 दिनांक 09.09.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि आवेदन पत्र में चाही गई सूचना से संबंधित अभिलेख का संधारण इस कार्यालय में नहीं किया जाता है और ना ही इस कार्यालय से संबंधित है। चाही गई सूचना संभवत पुलिस विभाग, नगर निगम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जोधपुर, जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग एवं जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर से संबंधित है, जिनका अंतरण किया जाना संभव नहीं है, अंतरण मात्र एक स्तर पर ही किया जा सकता है। लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा जो [illegible] चाही गई है वो इस कार्यालय से संबंधित नहीं है तथा अन्य सूचना [illegible] कार्यालयों से संबंधित है अतः अपीलार्थी इन विभागों से [illegible] करने के लिए गंभीर है तो पृथक से आवेदन कर प्राप्त [illegible] अपील अपीलार्थी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Ind
Date: 2020.10.13 17:48:37 IST
Reason: SelfAttested